न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः– श्री एस0एस0अली
सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक 6045/2018/कटनी/भू.रा. के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 07.09.2018 के द्वारा अतिरिक्त कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 0790/2017–18/ अपील।

जगतसिंह आत्मज श्री धानूसिंह
निवासी– ग्राम अमराडांड, मनटोला,
तहसील व जिला कटनी (म.प्र.)

–– अपीलार्थी

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन द्वारा अतिरिक्त कमिश्नर,
जबलपुर संभाग,
2– कलेक्टर, जिला कटनी

–– प्रत्यर्थीगण

श्री के0के0 द्विवेदी, धमेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक अपीलार्थी

आदेश

(आदेश दिनांक 22/10/18 को पारित)

यह अपील अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 0790/2017–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 07.09.2018 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 44 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का सारांश यह है कि अपीलार्थी ग्राम चनेहटी प.ह.न. 32 राजस्व निरीक्षक मण्डल मुडवारा–2 जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नं. 241, 243, 244 रकवा क्रमशः 0.04, 0.10, 0.09 कुल रकवा 0.23 है0 का भूमिस्वामी मालिक काबिज है। उक्त भूमि के संबंध में अपीलार्थी द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर जिला कटनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसे प्रकरण क्रमांक 19/अ–21/2016–17 पर पंजीबद्ध कर पारित आदेश दिनांक 16.01.2018 से निरस्त कर दिया गया।

3– यहकि, कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर को प्रस्तुत की गयी थी। जो पारित आदेश दिनांक 07.09.2018 को निरस्त कर दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में वर्तमान अपील प्रस्तुत की गयी है।

4– अपील मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने गये। तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का विधिवत् अवलोकन किया गया।

5– कलेक्टर न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा यह बताया गया था। कि आवेदित भूमि को विक्रय करने के पश्चात् अपीलार्थी के पास जिला कटनी के ग्राम चनेहटी में 0.57 है0, ग्राम अमराडांड राजस्व निरीक्षक मण्डल मुडवारा–2 जिला कटनी में 2.80 है0, ग्राम परसवारा में 1.38 है0 कुल रकवा 4.75 है0 अर्थात् 11 एकड़ 88 डिसमिल सिंचित भूमि स्वामी हक की भूमि शेष बचती है इससे अपीलार्थी भूमि विक्रय करने के पश्चात्

भूमिहीन नहीं होगा। इस प्रकार अपीलार्थी विधि अनुसार भूमि विक्रय करने की पात्रता रखता है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने भू–राजस्व संहिता की धारा 165 (6) में वर्णित प्रावधानो पर विचार किये बिना आलोच्य आदेश पारित किया है। अतः निरस्त किया जाये। अपीलार्थी द्वारा शेष बची हुयी भूमि के सत्यापन हेतु राजस्व अभिलेख की प्रति प्रस्तुत की गयी थी जिसे नजरअंदाज कर आदेश पारित किया गया है,

अभिभाषक द्वारा यह भी बताया गया कि अपीलार्थी ने कृषि एवं बीमारी के इलाज के लिये बाजार से अपनी साख पर रूपये कर्ज प्राप्त किये है जिसका चुकाया जाना आवश्यक है। यदि अपीलार्थी उक्त कर्ज को वापिस नहीं करता तो बाजार में उसकी साख पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। और उसे कृषि एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु कर्ज प्राप्त नहीं होगा। अपीलार्थी के पास कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई व्यवसाय नहीं है। अपीलार्थी अपनी कृषि भूमि में से रकवा 0.23 है0 भूमि के विक्रय का इकरार नामा निष्पादित कर रूपये प्राप्त कर लिये तथा भूमि का विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पत्र पर सद्भाविक विचार किये बिना एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के प्रतिकूल आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी के भूमि विक्रय अनुमति के आवेदन पत्र पर नायब तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी कटनी द्वारा प्रेषित प्रतिवेदनों में भूमि विक्रय की अनुशंसा की गयी है। इसलिये भी विक्रय की अनुमति दिये जाने से

इंकार नहीं किया जाना चाहिये। अंत में अपील स्वीकार कर भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया गया।

6– अभिभाषक के तर्को एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा कृषि सुधार हेतु रूपयो की आवश्यकता होने के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया गया था। यहॉ अपर तहसीलदार के प्रतिवेदन पर विचार किया जाना विशेष उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी केवल अपनी भूमि बेचकर शेष उपजाऊ भूमि को और अधिक उपजाऊ बनाने हेतु 0.3 डिसमिल भूमि बेचकर उसके पास शेष बची भूमि में सुधार करना चाहता है। अपीलार्थी के पास जिला कटनी के ग्राम चनहेटी में 0.57 है0, ग्राम अमराडांड राजस्व निरीक्षक मण्डल, मुडवारा – 2 जिला कटनी में 2.80 है0 ग्राम परसवारा में 1.38 है0 कुल रकवा 4.75 है0 अर्थात् 11 एकड 88 डिसमिल सिंचित भूमि स्वामी हक की भूमि शेष बचती है। इसलिये वह भूमि विक्रय करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होगा। इस प्रकार अपीलार्थी विधि अनुसार भूमि विक्रय करने की पात्रता रखता है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी के भूमि विक्रय अनुमति के आवेदन पत्र की अनुशंसा अनुविभागीय अधिकारी कटनी एवं नायब तहसीदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनो में की गयी थी। ऐसी स्थिति में प्रतिवेदनो के विपरीत जो आदेश पारित किया गया है। वह वैधानिक एवं उचित नहीं है। अपीलार्थी द्वारा आवेदित भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गयी है शासन द्वारा पट्टे पर प्रदान नहीं की गयी है तथा

शेष बचने वाली भूमियां भी अपीलार्थी की क्रय शुदा भूमि है। उपरोक्त स्थितियो पर विधिवत् विचार किये बिना जो आदेश अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित किये गये है वह त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किये जाते है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 0790/अपील/2017–18 पारित आदेश दिनांक 07.09.2018 एवं कलेक्टर कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 19/अ–21/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2018 त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किये जाते है। एंव अपीलार्थी को ग्राम चनेहटी प.ह.न.32 राजस्व निरीक्षक मण्डल मुडवारा – 2 जिला कटनी के खसरा नं. 241, 243, 244 रकवा क्रमशः 0.04, 0.10, 0.09 कुल रकवा 0.23 है0 भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर